झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

जमानत आवेदन संख्या 11095/2023

तारा चंद, उम्र लगभग 40 वर्ष, पिता- कल्याण सहाय,निवासी- प्लॉट संख्या 129, आनंद विहार, विजयपुरा रोड, आगरा रोड, जयपुर, डाकघर+थाना- जयपुर, जिला-जयपुर।

……. याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ, प्रवर्तन निदेशालय, जोनल कार्यालय, रांची के माध्यम से

…… विरोधी पक्षकर

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता की ओर से :श्री नीलेश कुमार, अधिवक्ता

श्री आयुष कुमार वर्मा, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष की ओर से :श्री अमित कुमार दास, अधिवक्ता

सी.ए.वी. 23/02/2024 को **01/03/2024 को निर्णीत**

<u>प्रार्थना</u>

1. प्रस्तुत आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 सपठित धारा 440 के तहत दायर किया गया है, जिसमें ई.सी.आई.आर. मामला संख्या 2/2023 (ए) में जमानत देने की प्रार्थना की गई है, जो ई.सी.आई.आर.-आर.एन.जेड.ओ./16/2020 दिनांक 17.09.2020 से उत्पन्न हुआ है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 4 के तहत अपराध, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7(बी) के अनुसूची अपराध के साथ है, पंजीकृत किया गया

है, जो विद्वान अपर न्यायायुक्त-VIII-सह-विशेष न्यायाधीश, पी.एम.एल. अधिनियम, रांची की अदालत में लंबित है।

<u>मामले के तथ्य</u>

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि ए.सी.बी., जमशेदपुर द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 13/2019 दिनांक 13.11.2019 से प्राप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत, ई.सी.आई.आर./आर.एन.एस.जेड.ओ/16/2020 दिनांक 17.09.2020 दर्ज करके, अन्वेषण शुरू किया गया था।
3. तत्पश्चात्, अनुसंधान एजेंसी द्वारा भा.दं.सं. की धारा 120-बी और 201 और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 7 (बी) के तहत अभियुक्तगण, अर्थात् आलोक रंजन और सुरेश प्रसाद वर्मा, के खिलाफ अंतिम प्रतिवेदन सं. 01/2020 दिनांक 11.01.2020 दायर की गई।
4. आगे, अभियुक्त व्यक्तियों और उनके करीबी सहयोगियों की भूमिका की जांच के लिए धारा 17 पी.एम.एल. अधिनियम के तहत प्रस्तुत मामले के संबंध में विभिन्न स्थानों पर की गई तलाशी कार्यवाही के दौरान, यह पाया गया कि अपराध के आगम का एक हिस्सा अभियुक्त वीरेंद्र कुमार राम, एक लोक सेवक द्वारा निविदाओं के आवंटन के एवज़ में कमीशन/रिश्वत के रूप में अर्जित किया गया था। कथित रिश्वत का पैसा दिल्ली स्थित सी.ए., मुकेश मित्तल द्वारा मुकेश मित्तल के कर्मचारियों/रिश्तेदारों के बैंक खातों की मदद से वीरेंद्र कुमार राम के परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में भेजा जा रहा था।
5. यह भी पता चला है कि वीरेंद्र कुमार राम मुकेश मित्तल को नकद राशि दिया करते थे, जो अन्य प्रविष्टि प्रदाताओं की मदद से अपने कर्मचारियों और रिश्तेदारों के बैंक खातों में प्रविष्टियां लिया करते थे और फिर मुकेश मित्तल द्वारा इस राशि को सह-अभियुक्त राजकुमारी (वीरेंद्र कुमार राम की पत्नी) और गेंदा राम (वीरेंद्र कुमार राम के पिता) के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता था।
6. अतिरिक्त अनुसंधान से ख़ुलास हुआ कि मुकेश मित्तल ने राम प्रकाश भाटिया से संपर्क किया, जो गेंदा राम के बैंक खाते में प्रविष्टियां लेने के लिए कमीशन के बदले प्रविष्टियां प्रदान करने के अवैध व्यवसाय में लगा हुआ है। तत्पश्चात्, राम प्रकाश भाटिया ने अपने सहयोगी नीरज मित्तल की मदद से वर्तमान याचिकाकर्ता के बैंक खातों का उपयोग करके, जो एक काल्पनिक नाम के तहत खोले गए थे, वे प्रविष्टियां उपलब्ध करवाईं।
7. नीरज मित्तल ने याचिकाकर्ता के बैंक खातों का उपयोग करते हुए, जिसमें जाली दस्तावेजों के आधार पर खोले गए खाते भी शामिल हैं, मुकेश मित्तल के रिश्तेदारों/कर्मचारियों के

बैंक खातों में 3.52 करोड़ रुपये की प्रविष्टियां प्रदान करवाईं, जो बाद में गेंदा राम के बैंक खातों में पहुंच गईं।

8. इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि गेंदा राम के बैंक खातों में राकेश कुमार केडिया, मनीष और नेहा श्रेष्ठ (मुकेश मित्तल के रिश्तेदार/कर्मचारी) के बैंक खातों से उच्च- मूल्य फंड की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका उपयोग गेंदा राम (वीरेंद्र राम के पिता) के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने में किया गया। यह भी शिनाख़्त हुआ कि उपरोक्त तीनों व्यक्तियों ने एक काल्पनिक व्यक्ति सचिन गुप्ता की तीन प्रोप्राइटरशिप फर्मों (मेसर्स ओम ट्रेडर्स, मेसर्स श्री खाटूश्याम ट्रेडर्स और मेसर्स अनिल कुमार गोविंद राम) के बैंक खातों से धनराशि प्राप्त करने के बाद गेंदा राम के बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित कर दी। यह भी पता चला कि वर्तमान याचिकाकर्ता तारा चंद, जो नीरज मित्तल का सहयोगी है, वास्तव में खुद को सचिन गुप्ता बता रहा था।

9. उपर्युक्त मामले के संबंध में वर्तमान याचिकाकर्ता को ई.डी. द्वारा 25.06.2023 को गिरफ्तार किया गया था। तदनुसार, वर्तमान याचिकाकर्ता ने जमानत हासिल करने के लिए अपराधिक विविध याचिका संख्या 2942/2023 प्रस्तुत किया, लेकिन इसे अतिरिक्त न्यायायुक्त XVIII-सह-विशेष न्यायाधीश, पी.एम.एल. अधिनियम, रांची की अदालत द्वारा पारित दिनांक 18.10.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

10. इसलिए वर्तमान याचिका दायर की गई है।

<u>याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क:</u>

11. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री नीलेश कुमार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित आधारों पर तर्क दिया:

(i) यह तर्क दिया गया है कि ऐसा कोई अभियोग नहीं है जो पी.एम.एल. अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध को आकर्षित करता हो।

(ii) याचिकाकर्ता, तारा चंद, सी.ए., अर्थात् मुकेश मित्तल का कर्मचारी है, सिवाय इसके कि ऐसा कोई अभियोग नहीं है जो पी.एम.एल. अधिनियम, 2002 के तहत दंडनीय अपराध को आकर्षित करता हो।

(iii) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह तथ्य प्रदर्शित करने के उद्देश्य से कि कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, ई.सी.आई.आर. पर आधारित जांच के दौरान एकत्रित सामग्री का प्रस्तुतीकरण किया, जिसे सक्षम अधिकारक्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

(iv) यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने फर्जी व्यक्तियों के नाम पर जाली दस्तावेज बनाकर बैंक खाता खोला और, यदि यह आरोप सत्य मान भी लिया जाए तो भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि यह धन शोधन के दायरे में आना चाहिए और, यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जानबूझकर सहायता करे या जानबूझकर अपराध के आगम से जुड़ी किसी क्रियाकलाप या गतिविधि में भाग ले या वास्तव में शामिल हो।

(v) हालांकि, इस याचिकाकर्ता ने कभी भी जाली दस्तावेजों के जरिए बैंक खाता नहीं खोला और दिल्ली में खोले गए कथित बैंक खातों से कोई भी लेन-देन इस याचिकाकर्ता की जानकारी में नहीं था और न ही याचिकाकर्ता को उक्त बैंक खातों के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी थी।

(vi) अपने तर्क के समर्थन में विद्वान वकील ने **विजय मदन लाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 929, रणजीत सिंह ब्रह्मजीत सिंह शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2005 (5) एस.सी.सी. 294** और **पी. चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2020 (13) एस.सी.सी. 791,के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए संप्रेक्षण पर भरोसा किया।**

12. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने उपरोक्त आधारों की बुनियाद पर प्रस्तुत किया कि ऊपर उत्तेजित आधारों के अनुसार, मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, यह एक उपयुक्त मामला है, जिसमें याचिकाकर्ता को जमानत के विशेषाधिकार का लाभ दिया जाना चाहिए।

<u>विरोधी पक्ष-प्रवर्तन निदेशालय के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क:</u>

13. जबकि दूसरी ओर, श्री अमित कुमार दास, विरोधी- पक्ष-प्रवर्तन निदेशालय के विद्वान वकील ने श्री नीलेश कुमार, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा ऊपर उल्लिखित तथ्य और विधि दोनों के आधार पर किए गए उक्त प्रस्तुति/आधार का गंभीरता से विरोध किया।

(i) यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम, 2002 की धारा 45 के तहत जमानत के लिए जुड़वां (ट्विन) शर्त बननी चाहिए, अर्थात, अदालत का यह समाधान होना आपेक्षित है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और, जमानत पर रहते हुए अपराध कारित करने की संभावना नहीं है।

(ii) आगे, वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई अन्वेषण के दौरान अधिरोपित लांछन का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया गया है जिसमें, याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष संलिप्तता, सह-अभियुक्त, अर्थात् वीरेंद्र कुमार राम द्वारा अर्जित धन का शोधन करने में, पाई गई है।

(iii) प्रस्तुत मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांक 20.08.2023 की पूरक अभियोजन शिकायत में आए आरोप का उल्लेख किया है, जिसे पेपर बुक के साथ संलग्न किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी तारा चंद (याचिकाकर्ता) ने जांच के दौरान खुलासा किया कि उसने सह-अभियुक्त नीरज मित्तल के निर्देश पर जाली दस्तावेजों के जरिए तीन प्रोपराइटरशिप फर्मों के नाम पर खुद को सचिन गुप्ता, ग़लत नाम बताकर तीन बैंक खाते खोले थे, जो इन बैंक खातों का संचालन भी करता था। इसके अलावा, बैंक को दिए गए पते पर उपरोक्त तीन प्रोपराइटरशिप फर्मों के नाम पर कोई व्यवसाय मौजूद नहीं पाया गया ।

(iv) अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने **विजय मदनलाल चौधरी एंव अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 929** और **रोहित टंडन बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2018) 11 एससीसी 46** के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भी भरोसा किया।

14. उत्तरवादी-प्रवर्तन निदेशालय के विद्वान वकील ने उपरोक्त आधारों पर दलील दी कि यह उचित मामला नहीं है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश मित्तल के सहयोगी के रूप में वीरेन्द्र कुमार राम के अपराध के आगम से निपटने में उनकी संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए जमानत की प्रार्थना स्वीकार की जाए।

पक्षों की ओर से प्रस्तुत दलीलों का विश्लेषण:

15. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना गया, अभिलेख पर उपलब्ध दलीलों और विद्वान न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर विचार किया गया।

16. यह न्यायालय, पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों का अभिमूल्यन करने से पहले, अधिनियम, 2002 के तहत अंतर्विष्ट विधि के कुछ प्रावधानों पर इसके उद्देश्य और आशय के साथ, चर्चा करना ठीक और उचित समझता है।

17. यह अधिनियम धन शोधन को रोकने, अपराध के आगम को कुर्क करने, न्यायनिर्णयन और जब्ती के लिए एक व्यापक कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया था, जिसमें इसे केंद्र सरकार में निहित करना, धन शोधन से निपटने के उपायों के समन्वय के लिए एजेंसियों और तंत्रों की स्थापना करना और अपराध के आगम से जुड़े क्रियाकलाप या गतिविधि में लिप्त व्यक्तियों को अभियोजित करना शामिल है। इन मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ गहन चर्चा की गई, 1989 में घोषित सिद्धांतों का बेसल वक्तव्य, 14 से 16 जुलाई, 1989 को पेरिस में आयोजित

सात प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में स्थापित FATF, 23.2.1990 के अपने संकल्प संख्या S-17/2 के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा और कार्रवाई का महान सज्जन्ता कार्यक्रम, 8 से 10 जून, 1998 को, विश्व मादक पदार्थ समस्या का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विशेष सत्र में, राज्यों से एक व्यापक कानून बनाने का आग्रह किया गया। यह विधेयक के परिचय और उसके साथ दिए गए उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य से स्पष्ट है, जो 2002 का अधिनियम बन गया। यह इस प्रकार पठनीय है:

"परिचय

धन शोधन न केवल देशों की वित्तीय प्रणालियों के लिए बल्कि उनकी अखंडता और संप्रभुता के लिए भी एक गंभीर खतरा है। ऐसे खतरों को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कुछ पहल की हैं। यह महसूस किया गया है कि धन शोधन और इससे जुड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए एक व्यापक कानून की तत्काल आवश्यकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसद में धन शोधन निवारण विधेयक, 1998 पेश किया गया था। विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया, जिसने 4 मार्च, 1999 को अपनी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की। केंद्र सरकार ने स्थायी समिति की सिफारिशों को मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया और उन्हें कुछ अन्य वांछित परिवर्तनों के साथ उक्त विधेयक में शामिल कर लिया।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

दुनिया भर में यह महसूस किया जा रहा है कि धन शोधन न केवल देशों की वित्तीय प्रणालियों के लिए बल्कि उनकी अखंडता और संप्रभुता के लिए भी एक गंभीर खतरा है। इस तरह के खतरे को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उठाए गए कुछ कदमों का विवरण नीचे दिया गया है: -

(क) स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जिसका भारत एक पक्ष है, में मादक द्रव्य अपराधों और अन्य संबद्ध गतिविधियों से प्राप्त आय के शोधन की रोकथाम और ऐसे अपराध से प्राप्त आय को जब्त करने का आह्वान किया गया है।

(ख) 1989 में घोषित बेसल सिद्धांतों के वक्तव्य में बुनियादी नीतियों और प्रक्रियाओं की रूपरेखा दी गई है जिनका बैंकों को धन शोधन की समस्या से निपटने में विधि प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए पालन करना चाहिए। (ग) धन शोधन की समस्या की जांच के लिए 14 से 16 जुलाई, 1989 तक पेरिस में आयोजित सात प्रमुख औद्योगिक देशों के शिखर सम्मेलन में स्थापित वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने चालीस सिफारिशें की

हैं, जो धन शोधन की समस्या से निपटने के लिए व्यापक कानून के लिए आधार सामग्री प्रदान करती हैं। सिफारिशों को विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण शीर्षक हैं-

(i) गंभीर अपराधों के माध्यम से किए गए धन के शोधन को आपराधिक अपराध घोषित करना;

(ii) रिपोर्ट करने योग्य लेनदेन के बारे में वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रकटीकरण के तौर-तरीके तैयार करना;

(iii) अपराध की आय को जब्त करना;

(iv) धन शोधन को प्रत्यर्पण योग्य अपराध घोषित करना; और

(v) धन शोधन की जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

(घ) संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 23 फरवरी, 1990 के अपने संकल्प संख्या एस-17/2 द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्य योजना, अन्य बातों के साथ-साथ सदस्य देशों से मादक पदार्थों से संबंधित धन शोधन के लिए वित्तीय संस्थाओं के इस्तेमाल को रोकने के लिए तंत्र विकसित करने और ऐसे शोधन को रोकने के लिए कानून बनाने का आह्वान करती है।

(ङ) संयुक्त राष्ट्र ने 8 से 10 जून, 1998 को संपन्न विश्व मादक पदार्थ समस्या का मिलकर मुकाबला करने के विशेष सत्र में धन शोधन से निपटने की आवश्यकता के बारे में एक और घोषणा की है। भारत इस घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता है।"

18. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिनियम, 2002 को धन शोधन को रोकने, अपराध के आगम की कुर्की, धन शोधन से निपटने के लिए न्यायनिर्णयन और जब्ती तथा अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में लिप्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ एक व्यापक कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

19. इसमें अधिनियम, 2002 की धारा 2(1)(प) के तहत दिए गए "अपराध के आगम" की परिभाषा का संदर्भ लेने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है:

"2(प) "अपराध का आगम" से किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त की गई कोई संपत्ति या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य 3[या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली या रखी जाती है, तो देश के भीतर रखी गई मूल्य के समतुल्य संपत्ति] 4[या विदेश में] अभिप्रेत है; [स्पष्टीकरण.- संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया

जाता है कि "अपराध के आगम" में न केवल अनुसूचित अपराध से व्युत्पन्न या प्राप्त की गई संपत्ति शामिल है, बल्कि ऐसी कोई संपत्ति भी शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या प्राप्त की जा सकती है;]"

20. उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि "अपराध के आगम" का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई संपत्ति या किसी ऐसी संपत्ति का मूल्य या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली गई या रखी गई है, तो देश के भीतर या विदेश में रखी गई संपत्ति के बराबर मूल्य से है।

21. स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया है कि संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "अपराध के आगम" में न केवल अनुसूचित अपराध से व्युत्पन्न या प्राप्त की गई संपत्ति शामिल है, बल्कि ऐसी संपत्ति भी शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या प्राप्त की जा सकती है। उपर्युक्त स्पष्टीकरण 2019 के अधिनियम 23 के माध्यम से संविधि पुस्तक में सन्निविस्ट किया गया है।

22. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि धारा 2(1)(प) के अंतर्गत स्पष्टीकरण देने का कारण यह है कि चाहे धारा 2(1)(प) के मूल प्रावधान के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या प्राप्त की गई संपत्ति या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली गई या रखी गई हो, लेकिन स्पष्टीकरण के माध्यम से अपराध के आगम को न केवल अनुसूचित अपराध से व्युत्पन्न या प्राप्त की गई संपत्ति बल्कि अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हासिल की गई संपत्ति को भी शामिल करके व्यापक निहितार्थ दिया गया है।

23. धारा 2(1)(फ) के तहत "संपत्ति" को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है कोई संपत्ति या किसी भी वर्णन की आस्तियां, चाहे वे भौतिक या अभौतिक, जंगम या स्थावर, मूर्त या अमूर्त हैं, और इसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति या आस्तियों के, चाहे वे कहीं भी अवस्थित, हक़ या उनमें के हित को साक्षयित करने वाले विलेख और लिखत भी हैं।

24. अनुसूची को धारा 2(1)(भ) के तहत अनुसूची को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची। "अनुसूचित अपराध" को धारा 2(1)(म) के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

"2(म) "अनुसूचित अपराध" से अभिप्रेत है -

(i) अनुसूची के भाग क के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध; या

(ii) अनुसूची के भाग ख के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध, यदि ऐसे अपराधों में अन्तर्वलित कुल मूल्य [एक करोड़ रुपए] या उससे अधिक है; या

(iii) अनुसूची के भाग ग के अंअधीन विनिर्दिष्ट अपराध।"

25. यह स्पष्ट है कि "अनुसूचित अपराध" का अर्थ है अनुसूची के भाग क के अंतर्गत निर्दिष्ट अपराध; या अनुसूची के भाग ख के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपराध यदि ऐसे अपराधों में अन्तर्वलित कुल मूल्य [एक करोड़ रुपये] या उससे अधिक है; या अनुसूची के भाग ग के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपराध।

26. धन शोधन के अपराध को अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

> *"**३. धन शोधन का अपराध-** जो कोई, भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से [अपराध के आगम को छुपाने, कब्जा करने, अधिग्रहण करने या उपयोग करने और इसे बेदाग़ संपत्ति के रूप में पेश करने या दावा करने सहित] से जुड़ी किसी क्रियाकलाप या गतिविधि में लिप्त होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में शामिल है, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा। [स्पष्टीकरण- शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि,— (i) कोई व्यक्ति धन शोधन के अपराध का दोषी होगा यदि ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध के आगम से जुड़ी निम्नलिखित क्रियाकलापों या गतिविधियों में से एक या अधिक में लिप्त होने का प्रयास करते या जानबूझकर सहायता करते या जानबूझकर एक पक्ष होना या वास्तव में शामिल पाया जाता है, अर्थात:— (क) छुपाना; या (ख) कब्जा; या (ग) अधिग्रहण; या (घ) उपयोग; या (ङ) बेदाग संपत्ति के रूप में पेश (प्रोजेक्ट) (च) बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना, किसी भी प्रकार से चाहे कुछ भी हो; (ii) अपराध की आय से जुड़ी क्रियाकलाप या गतिविधि एक सतत गतिविधि है और तब तक जारी रहती है जब तक कोई व्यक्ति अपराध के आगम को छिपाकर या कब्जे में लेकर या अधिग्रहण करके या उपयोग करके या इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करके या किसी भी तरह से बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका उपभोग कर रहा है।]"*

27. उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि "धन शोधन का अपराध" का अर्थ है जो कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध के आगम से जुड़ी किसी भी क्रियाकलाप या गतिविधि में शामिल होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या

जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में इसमें शामिल है, जिसमें अपराध के आगम को छिपाना, कब्जा करना, अधिग्रहण करना या उपयोग करना और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना शामिल है, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा।

28. यह भी स्पष्ट है कि अपराध के आगम से जुड़े क्रियाकलाप या गतिविधि एक सतत गतिविधि है और तब तक जारी रहती है जब तक कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय को छिपाकर या कब्जा करके या अधिग्रहण करके या उपयोग करके या इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करके या किसी भी तरह से बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करके इसका उपभोग कर रहा है।

29. अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। अधिनियम, 2002 की धारा 50 समन करने दस्तावेज प्रस्तुत करने और साक्ष्य देने के संबंध में प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान करती है। त्वरित संदर्भ के लिए, अधिनियम, 2002 की धारा 50 को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:-

> *"50. समन करने, दस्तावेजों पेश करने और साक्ष्य देने, आदि के संबंध में प्राधिकारियों की शक्तियाँ:–*
>
> *(1) निदेशक को, धारा 13 के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित विषयों के बाबत वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात:–*
>
> *(क) प्रकटीकरण और निरीक्षण; (ख) किसी व्यक्ति को जिसके अन्तर्गत [रिपोर्टिंग इकाई] का कोई अधिकारी भी है, हाजिर करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना; (ग) अभिलेखों के प्रस्तुतिकरण के लिए विवश करना; (घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना; (ङ) गवाहों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना; और (च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।*
>
> *(2) निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक को ऐसे किसी व्यक्ति को समन करने की शक्ति होगी जिसकी हाजिरी वह, चाहे इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के अनुक्रम में साक्ष्य देने के लिए या कोई अभिलेख पेश करने के लिए आवश्यक समझता है।*
>
> *(3) इस प्रकार समन किए गए सभी व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से अथवा प्राधिकृत अभिकर्ताओं के माध्यम से, जैसा कि ऐसा अधिकारी निदेश दे, हाजिर होने और ऐसे किसी विषय के बारे में सत्य कथन करने के लिए बाध्य होगा जिसके सम्बंध में उनकी परीक्षा की जा रही हो अथवा ऐसे कथन करने और ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जिनकी उससे से अपेक्षा की जाए।*

(4) उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

(5) केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्ही नियमों के अधीन रहते हुए, उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किन्ही कार्यवाहियों में उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए किन्हीं अभिलेखों को परिबध्द कर सकेगा और ऐसी किसी अवधि के लिये अपने पास प्रतिधारित कर सकेगा जिसे वह उचित समझे: परंतु कोई सहायक निदेशक या उप निदेशक-- (क) किसी अभिलेख को, ऐसा करने के लिये अपने कारणों को लेखबद्ध, परिबध्द नहीं करेगा; या (ख) ऐसे किसी अभिलेख को [संयुक्त निदेशक] का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा।"

30. अधिनियम, 2002 के विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ "अपराध के आगम" के परिभाषा की निर्वचन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2022) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 929 के मामले में विचार किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने अधिनियम, 2002 के उद्देश्य और इरादे को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे का विनिश्चय किया है।

31. *उस शर्त का निर्वचन, जिसे विधेय अपराध (प्रेडिकेट ऑफेन्स) में शामिल व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पूरा किया जाना है, जैसा पैराग्राफ 265 से ज़ाहिर होगा। त्वरित संदर्भ के लिए, प्रासंगिक पैराग्राफ को निम्नानुसार निर्दिष्ट किया जा रहा है:*

"265. दूसरे शब्दों में कहें तो, 2019 से पहले की धारा में खुद ही "सहित" शब्द शामिल था, जो अपराध के आगम से जुड़ी विभिन्न क्रियाकलाप या गतिविधि के संदर्भ में किया गया संकेत है। इस प्रकार, मुख्य प्रावधान (जैसा कि स्पष्टीकरण भी) यह बताता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध के आगम से जुड़ी किसी क्रियाकलाप या गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल पाया जाता है, तो उसे धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के अपराध का दोषी माना जाएगा। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा उपवर्णित निर्वचन को स्वीकार किया जाए, तो यह माना जाएगा कि केवल प्रश्नगत संपत्ति को बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने या दावा करने से ही अपराध पूरा हो जाएगा। यह अधिनियम की धारा 3 के पीछे विधायी मंशा की प्रभावशीलता को कमजोर करेगा और साथ ही इसमें " पेश या दावा करने" की अभिव्यक्ति से पहले "और" शब्द की अभिव्क्ति के संबंध में FATF द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की अवहेलना होगी। प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य में इस न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, अनुबंध और अभिसमय (कन्वेन्शन्स) यद्यपि रास्ट्रिय विधि (म्युनिसिपल लॉ) का भाग नहीं हो सकते हैं, फिर भी न्यायालयों द्वारा उनका संदर्भ लिया जाना चाहिए और उनका पालन किया जाना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत उक्त संधियों का एक पक्ष है। इस

न्यायालय ने आगे कहा कि भारत के संविधान और अन्य मौजूदा क़ानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के अनुरूप पढ़ा गया है। यह भी देखा गया कि भारत के संविधान और संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में और अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अभिसमय को ध्यान में रखते हुए समझना चाहिए क्योंकि हमारा संविधान विश्व समुदाय की उन संस्थाओं को ध्यान में रखता है जिन्हें बनाया गया था। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम ए.के. चोपड़ा में न्यायालय ने कहा कि आंतरिक (डोमेस्टिक) न्यायालयों का दायित्व है कि वे आंतरिक विधियों का निर्वचन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों (कन्वेन्शन्स) और मानदंडों को उचित सम्मान दें, विशेषकर तब जब उनके बीच कोई असंगति न हो और आंतरिक विधियों में कोई शुन्यता हो। इस दृष्टिकोण को गीता हरिहरन, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत संघ में भी दोहराया गया है।"

32. धारा 50 के निहितार्थ को भी ध्यान में रखा गया है। प्रासंगिक पैराग्राफ, अर्थात पैराग्राफ 422, 424, 425, 431, 434 इस प्रकार हैं:

*"**422.** इस प्रावधान की वैधता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) और 21 का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दी गई है। क्योंकि, यह 2002 अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी को अनुसंधान के दौरान किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उसका कथन अभिलिखित करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, प्रावधान में यह अनिवार्य किया गया है कि व्यक्ति को जांच के विषय के संबंध में अपने व्यक्तिगत ज्ञान में ज्ञात सत्य और सही तथ्यों का खुलासा करना चाहिए। व्यक्ति को इस तरह दिए गए कथन पर हस्ताक्षर करने के लिए भी बाध्य किया जाता है, इस धमकी के साथ कि झूठ या गलत होने पर उसे 2002 अधिनियम की धारा 63 के अनुसार दंडित किया जाएगा। इससे पहले कि हम मामले का आगे विश्लेषण करें, 2002 अधिनियम की धारा 50 को संशोधित रूप में पुन: प्रस्तुत करना समीचीन होगा।-----:*

*"**424.** इस प्रावधान के द्वारा, निदेशक को उपधारा (1) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय समान शक्तियों का प्रयोग करने के लिये सशक्त किया गया है जैसा कि संहिता 1908 के अधीन एक सिविल न्यायालय में निहित है। यह बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में जुर्माना लगाने की निदेशक की शक्तियों से संबंधित 2002 अधिनियम की धारा 13 के संदर्भ में है। धारा 50 को जिस परिवेश में रखा गया है और धारा 13 के तहत जुर्माना लगाने के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय में निहित शक्तियों के समान निदेशक को सशक्त बनाने का विस्तार स्पष्ट रूप से बहुत विशिष्ट है और अन्यथा नहीं।*

425. *वास्तव में, धारा 50 की उपधारा (2) निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने में सक्षम*

बनाती है, जिसकी उपस्थिति वह इस अधिनियम के तहत किसी भी अनुसंधान या कार्यवाही के दौरान साक्ष्य देने या कोई अभिलेख पेश करने के लिए आवश्यक समझता है। हमने पहले ही इस निर्णय के पहले हिस्से में "कार्यवाही" अभिव्यक्ति की व्यापकता पर प्रकाश डाला है और अभिनिर्धारित किया है कि यह न्यायनिर्णयन प्राधिकरण या विशेष न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के समक्ष कार्यवाही पर लागू होता है। फिर भी, उप-धारा (2) प्राधिकृत अधिकारियों को, किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने के लिये सशक्त करता है। हम यह समझने में विफल हैं कि अनुच्छेद 20(3) ऐसे समन के अनुसरण में कथन अभिलिखित करने की प्रक्रिया के संबंध में कैसे लागू होगा जो केवल इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के संबंध में जानकारी या साक्ष्य एकत्र करने के उद्देश्य से है। बेशक, जिस व्यक्ति को बुलाया गया है, वह व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत एजेंट के माध्यम से उपस्थित होने और किसी भी विषय पर सत्य बताने के लिए बाध्य है जिसके बारे में उससे पूछताछ की जा रही है या उससे कथन करने और दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा की जा रही है, जैसा कि 2002 अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (3) के नाते अपेक्षित हो। आलोचना अनिवार्यतः उपधारा (4) के कारण है जो यह पप्रावधान करता है कि उपधारा (2) और (3) के तहत प्रत्येक कार्यवाही भा.द.सं. की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। फिर भी, तथ्य यह है कि अनुच्छेद 20(3) या उस विषय के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 25, केवल तभी प्रवर्तन में आएगी जब इस तरह से बुलाया गया व्यक्ति प्रासंगिक समय पर किसी अपराध का अभियुक्त हो और उसे खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। यह स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है। एम.पी. शर्मा (मामले) में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने एक ऐसी ही चुनौती पर विचार किया था जिसमें अनुसंधान के लिए आपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट, संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करते हुए, जारी किए गए थे। इस न्यायालय ने मताभिव्यक्ति दी कि अनुच्छेद 20(3) में दी गई गारंटी "अभिसाक्षीय बाध्यता" के विरुद्ध है और यह मौखिक साक्ष्य तक सीमित नहीं है। इतना ही नहीं, यह तब भी लागू होता है जब व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर किया जाता है, जो मौखिक साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए समन जारी होने मात्र से नहीं हो सकता है। इसके अलावा, गवाह बनना साक्ष्य प्रस्तुत करने से अधिक कुछ नहीं है और ऐसे साक्ष्य विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया: "मोटे तौर पर कहा जाए तो अनुच्छेद 20(3) में दी गई गारंटी "अभिसाक्षीय बाध्यता" के विरुद्ध है। यह सुझाव दिया जाता है कि यह किसी व्यक्ति के मौखिक साक्ष्य तक सीमित है, जब वह किसी अपराध के विचारण के दौरान, विट्नेस स्टैंड में बुलाया जाता है। हम संवैधानिक गारंटी की अंतर्वस्तु को मात्र इस शाब्दिक अर्थ तक सीमित करने का कोई कारण नहीं देख सकते हैं। इसलिए इसे सीमित करना, इसके मूल उद्देश्य की गारंटी को छीनना होगा और सार्थक के लिए सार को

*विफल/चूकना करना होगा जैसा कि कुछ अमेरिकी निर्णयों में बताया गया है। अनुच्छेद 20(3) में प्रयुक्त वाक्यांश "गवाह होना" है। कोई व्यक्ति केवल मौखिक साक्ष्य देकर ही नहीं बल्कि दस्तावेज़ प्रस्तुत करके या गूंगे गवाह के मामले में बोधगम्य हाव-भाव बनाकर भी "गवाह" हो सकता है (साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 देखें) या इसी तरह। "गवाह होना" "साक्ष्य प्रस्तुत करने" से ज़्यादा कुछ नहीं है, और ऐसा साक्ष्य होठों से या किसी चीज़ या दस्तावेज़ को प्रस्तुत करके या अन्य तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। जहाँ तक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का संबंध है, निस्संदेह साक्ष्य अधिनियम की धारा 139 कहती है कि समन पर दस्तावेज़ प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति गवाह नहीं है। लेकिन उस धारा का उद्देश्य प्रतिपरीक्षण (क्रॉस एग्जामिनेशन) के अधिकार को विनियमित करना है। यह "गवाह" शब्द के अर्थ के लिए मार्गदर्शक नहीं है, जिसे इसके प्राकृतिक अर्थ में समझा जाए, यानी, साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को संदर्भित करना। वास्तव में, प्रत्येक सकारात्मक स्वैच्छिक कार्य जो साक्ष्य प्रस्तुत करता है, वह अभिसाक्ष्य है, और अभिसाक्ष्यी बाध्यता का अर्थ है प्रपीड़न जो व्यक्ति के सकारात्मक स्वैच्छिक साक्ष्य संबंधी कार्यों को प्राप्त करती है, जो उसकी ओर से चुप्पी या समर्पण के नकारात्मक रवैये के विपरीत है। न ही यह सोचने का कोई कारण है कि इस प्रकार प्राप्त साक्ष्य के संबंध में सुरक्षा केवल न्यायालय कक्ष में विचारण के दौरान होने वाली घटनाओं तक ही सीमित है। अनुच्छेद 20(3) में प्रयुक्त वाक्यांश "गवाह बनना" है न कि "गवाह के रूप में पेश होना"। इसका अर्थ यह है कि अभियुक्त को "गवाह बनना" वाक्यांश से संबंधित होने तक दी जाने वाली सुरक्षा केवल न्यायालय कक्ष में साक्ष्य संबंधी बाध्यता के संबंध में ही नहीं है, बल्कि उससे पहले प्राप्त की गई बाध्यकारी अभिसाक्ष्य तक भी विस्तारित हो सकती है। **इसलिए यह उस व्यक्ति को उपलब्ध है जिसके विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने से संबंधित औपचारिक अभियोग लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य तौर पर अभियोजन हो सकता है।** क्या यह अन्य स्थितियों में अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है, इस मामले में निर्णय की आवश्यकता नहीं है।" (रेखांकित शब्दों पर जोर दिया गया है।)*

***431**. 2002 अधिनियम के संदर्भ में, यह याद रखना चाहिए कि धारा 50 के अधीन प्राधिकरी द्वारा अपराध के आगम के बारे में जांच के संबंध में समन जारी किया जाता है, और न्यायनिर्णयन प्राधिकरी के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है, जिसे कुर्क किया जा सकता है। ऐसी कार्रवाई के संबंध में, नामित अधिकारियों को न्यायनिर्णयन प्राधिकरी के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी और साक्ष्य के संग्रह के लिए किसी भी व्यक्ति को समन करने के लिये सशक्त किया गया है। यह आवश्यक रूप से नोटिस प्राप्तकर्ता के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिये नहीं है। इस अधिनियम के तहत नामित प्राधिकारियों को सौंपी गई शक्ति, हालांकि वास्तविक अर्थों में जांच के रूप में है, अपराध के आगम के बारे में कार्रवाई शुरू करने या आगे बढ़ाने में सुविधा*

के लिए प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच करना है, यदि परिस्थिति ऐसा करने की मांग करती है, और न्यायनिर्णयन प्राधिकरी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। यह अलग बात है कि जांच के दौरान इस तरह से एकत्रित की गई जानकारी और साक्ष्य, धन शोधन के अपराध के किए जाने और उस व्यक्ति की संलिप्तता का खुलासा कर सकते हैं, जिसे प्राधिकरी द्वारा जारी किए गए समन के अनुसरण में खुलासा करने के लिए बुलाया गया है। इस स्तर पर, ऐसे व्यक्ति के धन शोधन के अपराध में अभियुक्त के रूप में शामिल होने की संभावना का संकेत देने वाला कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं होगा। यदि उसके द्वारा दिए गए बयान से धन शोधन के अपराध या अपराध के आगम के अस्तित्व का पता चलता है, तो वह अधिनियम के तहत ही कार्रवाई योग्य हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अपराध का आगम होने वाली संपत्ति के संबंध में प्रासंगिक तथ्यों की जांच करने के उद्देश्य से बयान दर्ज करने के चरण में, उस अर्थ में, अभियोजन के लिए कोई अनुसंधान नहीं है; और किसी भी मामले में, नोटिस प्राप्तकर्ता के खिलाफ कोई औपचारिक अभियोग नहीं होगा। इस तरह के समन अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा की गई जांच में गवाहों को भी जारी किए जा सकते हैं। हालांकि, अन्य सामग्री और सबूतों के आधार पर आगे की जांच के बाद, ऐसे व्यक्ति (नोटिस प्राप्तकर्ता) की संलिप्तता का पता चलता है, अधिकृत प्राधिकारी निश्चित रूप से उसके खिलाफ उसके द्वारा किए गए कार्यों या लोप के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में, समन जारी करने के चरण में, व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। हालांकि, अगर ईडी अधिकारी द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी के बाद उसका बयान दर्ज किया जाता है, तो अनुच्छेद धारा 20(3) या साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के परिणाम लागू हो सकते हैं, यह आग्रह करने के लिये कि यह संस्वीकृति की प्रकृति का है, इसलिए उसके खिलाफ साबित नहीं किया जायेगा। इसके अलावा, यह अभियोजन पक्ष को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने से नहीं रोकेगा, जिसमें उसके दावे के झूठ को इंगित करने के लिए अन्य ठोस सामग्री के आधार पर 2002 अधिनियम की धारा 63 के तहत परिणाम शामिल हैं। यह साक्ष्य के नियम का मामला होगा।

434. *इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिकारियों को दी गई शक्ति अपराध के आगम के अस्तित्व और उससे संबंधित क्रियाकलाप या गतिविधि में व्यक्तियों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक मामलों की जांच करने के लिए है, ताकि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जा सके, जिसमें संपत्ति की जब्ती, कुर्की और अधिहरण शामिल है, जो अंततः केंद्र सरकार में निहित है।"*

33. उपर्युक्त अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधिनियम 2002 के उद्देश्यों और लक्ष्यों, जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया है, केवल धन शोधन के अपराध के लिए दण्ड तक सीमित

नहीं है, बल्कि धन शोधन की रोकथाम के लिए उपाय भी प्रदान करना है। यह अपराध के आगम की कुर्की के लिए भी प्रावधान करता है, जिसे छुपाया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है या किसी भी तरह से निपटा जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप 2002 अधिनियम के तहत ऐसी आय की जब्ती से संबंधित किसी भी कार्यवाही को विफल किया जा सकता है। यह अधिनियम बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों को संव्यवहार के अभिलेख बनाए रखने, 2002 के अधिनियम के अध्याय IV के अनुसार निर्धारित समय के भीतर ऐसे संव्यवहार की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए भी बाध्य करता है।

34. उपरोक्त निर्णय में विधेय अपराध (प्रेडिकेट ऑफेन्स) पर विचार किया गया है, जिसमें धारा 2(1)(प) के अधीन अंतर्विष्ट "अपराध के आगम" की परिभाषा के अंतर्गत 2019 के अधिनियम 23, के माध्यम से अंतर्विष्ट स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा और जिसके अधीन, संदेह को दूर करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया गया है कि, "अपराध के आगम" में न केवल अनुसूचित अपराध से व्युत्पन्न या प्राप्त की गई संपत्ति शामिल है, बल्कि कोई भी संपत्ति शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या प्राप्त की जा सकती है, जिसका अर्थ है कि, शब्द "कोई भी संपत्ति जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या प्राप्त की जा सकती हो" अपराध के आगम के दायरे में आएगी।

35. जहां तक धारा 45(1)(i)(ii) के अभिप्राय का संबंध है, उक्त प्रावधान सर्वोपरी खंड (नॉन-ऑबसटंटे) से शुरू होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि -

> *(i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया हो; और (ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, अदालत को यह समाधान नहीं हो जाता कि यह विश्वास करने के लिए समुचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और उसके द्वारा जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।*

36. जमानत देने पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में परिसीमाओं के अतिरिक्त इसकी उपधारा (2), उपधारा (1) में निर्दिष्ट जमानत देने पर रोक लगाती है।

37. यहां उपधारा (2) के अंतर्गत स्पष्टीकरण भी है, जो संदेहों को दूर करने के उद्देश्य से है। एक स्पष्टीकरण अंतर्विष्ट किया गया है कि "संज्ञेय और गैर-जमानती अपराधों" का अर्थ होगा और हमेशा यही माना जाएगा कि इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय अपराध और गैर-जमानती अपराध होंगे, इस बात के होते हुए भी कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में इसके विपरीत कुछ भी अंतर्विष्ट हो, और तदनुसार इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी धारा 19 के अधीन शर्तों की पूर्ति और इस धारा के तहत प्रतिष्ठापित शर्तों के अधीन, बिना वारंट के किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए सशक्त हैं।

38. धारा 45 के निहितार्थ के बारे में तथ्य को माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (सुप्रा) के पैराग्राफ-372-374 में व्याख्या की गई है।

39. तत्पर संदर्भ के लिए, उक्त अनुच्छेदों को निम्नानुसार संदर्भित किया जा रहा है:

"372. धारा 45 को 2005 के अधिनियम 20, 2018 के अधिनियम 13 और वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 के द्वारा संशोधित किया गया है। 23.11.2017 से पहले प्राप्त प्रावधान कुछ अलग तरीके से पठनीय हैं। धारा 45 की उपधारा (1) की संवैधानिक वैधता, जैसा कि वह तब थी, निकेश ताराचंद शाह में विचार किया गया था। इस न्यायालय ने 2002 के अधिनियम की धारा 45(1) को, जैसा कि वह तब थी, जमानत पर रिहाई के लिए दो अतिरिक्त शर्तें लगाने के मामले में असंवैधानिक घोषित किया, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। जिन दो शर्तों का उल्लेख जुड़वां शर्तों के रूप में किया गया है वे हैं: (i) यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है., और (ii)*जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध कारित करने की संभावना नहीं है।*

373. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, चूंकि इस न्यायालय द्वारा जुड़वा शर्तों को शून्य और असंवैधानिक घोषित किया गया है, इसलिए वे अभिलोपित हो गई हैं। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए मणिपुर राज्य के (मामले की) सुक्ति का अवलम्बन लिया गया है।

374. हमारे द्वारा उत्तर दिया जाने वाला पहला मुद्दा यह है: क्या निकेश ताराचंद शाह में इस न्यायालय के निर्णय के बाद भी कानून की पुस्तक में ये जुड़वा शर्तें बनी रहीं और यदि हां, तो 2002 के अधिनियम की धारा 45(1) में 2018 के अधिनियम 13 के तहत किए गए संशोधन के मद्देनजर, इस न्यायालय द्वारा की गई घोषणा का कोई महत्व नहीं होगा। यह तर्क हमें, लंबे समय तक, रोके रखने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मणिपुर राज्य के निर्णय के पैराग्राफ 29 में यह मताभिव्यक्ति कि न्यायालय द्वारा यह घोषित किए जाने के कारण कि विधि असंवैधानिक है, विधि पूरी तरह से समाप्त हो जाता है जैसे कि इसे कभी पारित ही नहीं किया गया था, प्रसंग का मामला है। इस मामले में, न्यायालय निरसित अधिनियम की प्रभावकारिता से निपट रहा था। ऐसा करते समय, न्यायालय ने निरसित अधिनियम पर ध्यान दिया

था और विधायी शक्ति की कमी के संदर्भ में उक्त अवलोकन किया था। तर्क की प्रक्रिया में, इसने बेहराम खुर्शीद पेसिकाका और दीप चंद के साथ साथ कूली ऑन कॉन्स्टीट्यूशनल लिमिटेशन्स और नॉर्टन बनाम शेल्बी काउंटी में की गई अमेरिकी न्यायशास्त्र के प्रतिपादन पर उल्लेख किया था।"

*40. तत्पश्चात, माननीय शीर्ष न्यायालय ने **तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, (2023) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1486** के मामले में **विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य** (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा प्रतिपादित कानून को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया है कि चूंकि धारा 45 के तहत निर्दिष्ट शर्तें आज्ञापक हैं, इसलिए उनका अनुपालन किया जाना आवश्यक है। न्यायालय का यह समाधान होना अपेक्षित है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और उसके जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यह भी निर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 24 के अनुसार न्यायालय या प्राधिकरण यह उपधारणा करने के लिये हक़दार है, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए, कि अधिनियम के अधीन अपराध के आगम से संबंधित किसी भी कार्यवाही में, धारा 3 के अधीन धन शोधन के अपराध में आरोपित व्यक्ति के मामले में, अपराध के ऐसे आगम धन शोधन में शामिल है। पी.एम.एल. अधिनियम की धारा 71 के अधीन, पी.एम.एल. अधिनियम को तत्समय प्रवृत अन्य विधि पर अधिभावी प्रभाव को देखते हुए, दं.प्र.सं. की धारा 439 के अधीन जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी, पी.एम.एल. अधिनियम की धारा 45 में उल्लिखित ऐसी शर्तों का अनुपालन करना होगा।*

41. तत्पर संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय के पैराग्राफ-17 को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

"17. जैसा कि अब तक स्थापित हो चुका है, धारा 45 के तहत विनिर्दिष्ट शर्तें आज्ञापक हैं। उनका अनुपालन करना आवश्यक है। न्यायालय का इस बात का समाधान होना अपेक्षित है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अधिनियम की धारा 24 के तहत अनुमत वैधानिक अनुमान के अनुसार, न्यायालय या प्राधिकरण यह उपधारणा करने का हकदार है, जब तक विपरीत साबित न हो जाए, कि अधिनियम के अधीन अपराध के आगम से संबंधित किसी भी कार्यवाही में, धारा 3 के अदिन धन शोधन के अपराध में आरोपित व्यक्ति के मामले में, अपराध के आगम ऐसे धन शोधन में शामिल है। पी.एम.एल. अधिनियम की धारा 71 के अधीन, पी.एम.एल. अधिनियम को तत्समय प्रवृत अन्य

विधि पर अधिभावी प्रभाव को देखते हुए, दं.प्र.सं. की धारा 439 के अधीन जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी, पी.एम.एल. अधिनियम की धारा 45 में उल्लिखित ऐसी शर्तों का अनुपालन करना होगा।"

42. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में आगे यह निर्धारित किया है कि जमानत का लाभ देने से पहले अधिनियम, 2002 की धारा 45 की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जुड़वां शर्तों का पालन किया जाना है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (सुप्रा)** में निपटारण किया है, जिसमें यह संप्रेक्षित किया है कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

43. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य** (सुप्रा) में दिए गए निर्णय में पैराग्राफ 284 के तहत यह निर्धारित किया गया है कि 2002 के अधिनियम के तहत प्राधिकरण को किसी व्यक्ति पर धन शोधन के अपराध के लिए तभी मुकदमा चलाना है, जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना आपेक्षित है, कि व्यक्ति के कब्जे में अपराध का आगम है। केवल तभी जब उस विश्वास को ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जाता हो, जो अपराध के आगम से जुड़ी किसी प्रक्रिया या गतिविधि में संबंधित व्यक्ति की संलिप्तता को इंगित करता है, तो अधिनियम के तहत अपराध के आगम की कुर्की और जब्ती के लिए कार्रवाई की जा सकती है, केंद्र सरकार में इसके निहित होने तक, शुरू की गई ऐसी प्रक्रिया एक स्वतंत्र प्रक्रिया होगी। जहां तक अधिनियम, 2002 की धारा 45 के तहत जमानत देने के मुद्दे का संबंध है, जैसा कि **विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य** (सुप्रा) में दिए गए निर्णय के पैराग्राफ-412 में ऊपर उल्लिखित किया गया है, में यह निर्धारित किया गया है कि रिलीफ़ चाहे किसी भी रूप में दी गई हो, जिसमें कार्यवाही की प्रकृति भी शामिल है, चाहे वह 1973 की संहिता की धारा 438 के तहत हो या उस मामले के लिए, संवैधानिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान करके, 2002 की धारा 45 के, अंतर्निहित सिद्धांतों और कठोरता को लागू किया जाना चाहिए और बिना किसी अपवाद के 2002 अधिनियम के उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए माना जाना चाहिए, जो कि धन शोधन के खतरे से निपटने के लिए कड़े नियामक उपायों का प्रावधान करने वाला एक विशेष कानून है।

44. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गौतम कुंडू बनाम प्रवर्तन निदेशालय (धन शोधन निवारण अधिनियम), भारत सरकार के मामले में मनोज कुमार, सहायक निदेशक, पूर्वी क्षेत्र, (2015) 16 एससीसी 1** के माध्यम से, **पैराग्राफ - 30** में निर्धारित किया है कि पीएमएलए की धारा 45 के तहत निर्दिष्ट शर्तें आज्ञात्मक हैं और उनका अनुपालन किया जाना चाहिए, जिसे धारा 65 और पीएमएलए की धारा 71 के प्रावधानों द्वारा और मजबूत किया गया है। धारा 65 में यह आवश्यक है कि दं.प्र.सं. (सीआरपीसी) के प्रावधान तभी लागू होंगे जब तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं और धारा 71 यह प्रावधान करता है कि पीएमएलए के प्रावधानों का किसी भी अन्य कानून में निहित असंगतता

के बावजूद अधिभावी प्रभाव होगा। पीएमएलए का अधिभावी प्रभाव होता है और दं.प्र.सं. (सीआरपीसी) के प्रावधान तभी लागू होंगे जब वे इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हों।

45. इसलिए, धारा 439 सीआरपीसी के तहत जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी पीएमएलए की धारा 45 में उल्लिखित शर्तों का पालन करना होगा। धारा 24 के प्रावधानों के साथ यह प्रावधान है कि जब तक विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक प्राधिकरण या न्यायालय यह मान लेगा कि अपराध का आगम मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है और यह साबित करने का भार अपीलकर्ता पर है कि अपराध का आगम शामिल नहीं है। तत्पर संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय का पैराग्राफ-30 इस प्रकार है:

"30. पी.एम.एल.ए. की धारा 45 के तहत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं और उनका अनुपालन किया जाना चाहिए, जिसे पी.एम.एल.ए. की धारा 65 और धारा 71 के प्रावधानों द्वारा मज़ीद मजबूती प्रदान की गयी है। धारा 65 के अनुसार दं.प्र.सं. के प्रावधान तभी लागू होंगे जब वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों और धारा 71 में प्रावधान है कि पी.एम.एल.ए. के प्रावधानों का प्रभाव सर्वोपरि होगा, भले ही वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में इसके साथ कुछ भी असंगती हो। पी.एम.एल.ए. का प्रभाव सर्वोपरि है और दं.प्र.सं. के प्रावधान तभी लागू होंगे जब वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों। इसलिए, पी.एम.एल.ए. की धारा 45 में उल्लिखित शर्तों का पालन दं.प्र.सं. की धारा 439 के तहत जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी करना होगा। धारा 24 के प्रावधानों के साथ यह प्रावधान है कि जब तक विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक प्राधिकरण या न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि अपराध का आगम धन शोधन में शामिल है और यह साबित करने का भार कि अपराध का आगमय शामिल नहीं है, अपीलकर्ता पर है।"

46. अब, अधिनियम, 2002 के विभिन्न प्रावधानों के मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर चर्चा करने के बाद, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की ओर से उठाए गए कानूनी आधारों का जवाब देने के लिए आगे बढ़ रहा है।

47. यहां यह उल्लख करना आवश्यक है कि सह-अभियुक्त, मुकेश मित्तल ने ए.बी.ए. संख्या 10671/2023 के तहत गिरफ्तारी-पूर्व जमानत पाने के लिए आवेदन दायर किया है।

48. इस न्यायालय ने उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार किया है और दिनांक 16.02.2024 के आदेश के बाबत इसे खारिज कर दिया है। उपरोक्त आदेश को संदर्भित करने का कारण यह है कि विधि विवादद्यक को विचारार्थ लिया गया है, कानूनी विवक्षिता के संबंध में, कि यदि ई.सी.आई.आर. 30 पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, तो मामला एक शिकायत मामले में परिवर्तित हो चुका है और इसलिए, इस स्तर पर, प्रवर्तन निदेशालय के लिए उपस्थित सरकारी अभियोजक के पास विरोध करने का क्षेत्राधिकार नहीं हो सकता है। इसके अलावा, धारा 19(1) का चरण उसी समय समाप्त हो चुका, जब ई.सी.आई.आर. को संबंधित अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया और चूंकि ई.सी.आई.आर. में

परिवर्तित प्रारंभिक जांच के संचालन के दौरान याचिकाकर्ता का सहयोग रहा है, इसलिए इस स्तर पर उसकी कैद अप्रासंगिक होगी।

49. उपरोक्त आधार पर इस न्यायालय द्वारा, मुकेश मित्तल की अग्रिम जमानत याचिका को दिनांक 16.02.2024 के आदेश द्वारा खारिज करते हुए, पहले ही विचार किया जा चुका है।

50. अब वर्तमान मामले के तथ्य और वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर तवज्जह करते हुए, जिसके बारे में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार, कहा जा रहा है कि यह पी.एम.एल.ए. 2022 की धारा 3 के तहत नहीं आता है, जबकि दूसरी ओर, ई.डी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने अभियोजन शिकायत के विभिन्न पैराग्राफों का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया है कि अपराध, पी.एम.एल. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध आकर्षित करने के लिए पूरी तरह उपलब्ध है।

51. प्रतिद्वंदी दलीलों का गुण जानने के लिए इस न्यायालय का यह विचार है कि पूरक अभियोजन शिकायत के विभिन्न पैराग्राफ, जिन पर दोनों पक्षों की ओर से निर्भरता दर्शाई है, का यहां उल्लेख किया जाए ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या पी.एम.एल.ए. की धारा 45(ii) के तहत तय किए गए पैरामीटर को पूरा किया जा रहा है, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश से कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें नियमित जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। पूरक अभियोजन शिकायत के प्रासंगिक पैराग्राफ यहां उद्धृत किए जा रहे हैं:

<u>"5.4.2 गेंदा राम के बैंक खाते में प्राप्त धनराशि के स्रोत की पहचान</u>

52. (iii) इस प्रकार, यह पाया गया कि राकेश कुमार केडिया, मनीष नेहा श्रेष्ठिया और गेंदा राम (खाता संख्या 110089477752) के बैंक खाते से गेंदा राम (खाता संख्या 127000628767) के बैंक खाते में कुल 4.43 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए और इस 4.43 करोड़ रुपये की राशि में से, 3.39 करोड़ रुपये की राशि गेंदा राम के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई। और इस 4.43 करोड़ राशि में से 3.39 करोड़ तीन प्रोपराइटरशिप नामतः (1) श्री खाटूश्याम ट्रेडर्स (079205500560), (ii) अनिल कुमार गोविंद राम ट्रेडर्स और (082705001671) (iii) ओ *दं.प्र.सं.* म ट्रेडर्स (0724050017401 और एक ताराचंद के बैंक खाते (675705602113) से 13 लाख रुपये, की फंडिंग की गई थी।

(iv) आगे , यह भी पाया गया कि तीनों प्रोपराइटरशिप फर्मों के ये सभी बैंक खाते आईसीआईसीआई बैंक में मेन्टेन किए जा रहे हैं, जो सभी सचिन गुप्ता, पिता/ अशरफी लाल गुप्ता नामक एक ही प्रोपराइटर के अधीन संचालित किए जा रहे हैं। प्रोपराइटर (सचिन गुप्ता) के पास अपनी तीन उपरोक्त प्रोपराइटरशिप फर्मों में तीन अलग-अलग पैन विवरण (डीजीआरपीजी9506एफ, डीईआरपीओ 1369ए और डीबीजेपीजी3661क्यू) धारित करते हैं। (बाद में पता चला कि तारा चंद (आरोपी संख्या-6) खुद को सचिन गुप्ता बताकर प्रतिरूपण कर रहा था)। इस संबंध में अनुसंधान के निष्कर्षों को 21.04.2023 को इस माननीय न्यायालय के समक्ष दायर अभियोजन शिकायत में विस्तार से समझाया जा चुका है और संक्षिप्तता के लिए इसे दोहराया नहीं जा रहा है।

(v) इसके अगे, शेष 91 लाख रुपये का स्रोत इस प्रकार है: 48.75 लाख रुपये मुकेश मित्तल (2577101050981) के कैनरा बैंक खाते से स्थानांतरित किए गए, 18.00 लाख रुपये जमीदारा ट्रेडिंग के एक्सिस बैंक खाते (922020004021785) से स्थानांतरित किए गए, जो फील्ड सत्यापन में अस्तित्व में नहीं पाया गया, 12.00 लाख रुपये ओयेकूल टेक्नोलॉजीज (प्रो. हरीश यादव-आरोपी नंबर-9) के आईसीआईसीआई बैंक खाते (425405000759) से 10 लाख रुपये, कृष्णा एंटरप्राइज (इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, 200000747964) से 9.99 लाख रुपये, और डिसेंट ट्रेडर्स (इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, 200001383885) से 4.50 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए।

(vii) इसके अलावा, बैंक को दिए गए पतों पर तीन स्वामित्व वाली फर्मों या उनके मालिक सचिन गुप्ता के नाम पर कोई व्यवसाय का वजूद नहीं पाया गया। मेसर्स ओयेकूल टेक्नोलॉजीज (प्रोप. हरीश यादव) का व्यवसाय संचालन भी दिए गए पते पर अस्तित्वहीन पाया गया। इसलिए, किसी भी व्यावसायिक पते उसके व्यवसाय संचालन की ग़ैरमौजूदगी यह स्थापित करती है कि फर्म केवल कागजों पर चल रही थीं, अर्थात शेल कंपनियां (फर्म) और ऐसी शेल फर्मों का गठन केवल बैंकिंग लेनदेन को वाससुविधा करने के लिए किया गया है ताकि व्यवसाय लेनदेन की आड़ में अपराध के आगम का शोधन किया जा सके।

(viii) पीएमएलए की धारा 17 के तहत तारा चंद के आवास पर आगे की तलाशी ली गई और पाया गया कि तारा चंद खुद को सचिन गुप्ता के रूप में प्रतिरूपण कर रहा है और उसका बयान 21.02.2023 को दर्ज किया गया, जिसमें उसने कहा कि उसने उपरोक्त तीन मालिकाना फर्म खोले हैं और बाद में उनके बैंक खाते यानी (i) श्री खाटूश्याम ट्रेडर्स (079205500560), (ii) अनिल कुमार गोविंद राम ट्रेडर्स और (082705001671) (iii) ओम ट्रेडर्स 072405001740) को आधार और पैन कार्ड जैसे जाली दस्तावेजों के जरिए खोला गया और उसने कहा कि ऐसे बैंक खाते नीरज मित्तल (आरोपी संख्या- 7) द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। तारा चंद (आरोपी संख्या 6) ने प्रकट किया है कि तीनों पैन/आधार कार्ड में लगी तस्वीरें उसकी अपनी हैं और यह भी कहा है कि ऐसे खाते नकद देने वालों के बैंक खातों में सुविधा प्रविष्टियां प्रदान करने के लिए खोले गए थे और कमीशन के बदले में ऐसा काम किया जाता है। ऐसे जाली दस्तावेजों का विवरण और उनकी जांच के निष्कर्षों पर 21/04/2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष दायर अभियोजन शिकायत में विस्तार से चर्चा की गई है। इसलिए संक्षिप्तता के लिए इन्हें यहां दोहराया नहीं जा रहा है।

(ix) तारा चंद (आरोपी संख्या 6) का बयान भी बाद में पी.एम.एल.ए. की धारा 50 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने कहा कि वह नीरज मित्तल के निदेश पर राम प्रकाश भाटिया (जिन्हें मुकेश मित्तल, वीरेंद्र कुमार राम की नकदी सौंपा करता था) से नकदी इकट्ठा करता था और कुल 3.52 करोड़ रुपये की धनराशि राकेश कुमार केडिया, मनीष और नेहा श्रेष्ठ के बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए हैं, जो राम प्रकाश भाटिया (आरोपी संख्या 8) द्वारा उपलब्ध कराए गए थे और ये केवल कमीशन के बदले में दी गई फर्जी व्यावसायिक प्रविष्टियां हैं। उसने यह भी कहा कि उसके (तारा चंद) उपरोक्त चार बैंक खाते हरीश यादव (आरोपी संख्या 9) द्वारा नीरज मित्तल के निदेश पर संचालित किए जाते थे। उन्होंने

आगे कहा कि फर्मों के उपरोक्त बैंक खातों से लिंक मोबाइल नंबर 8700647152, 8595844694 और 9355775681 हरीश यादव (आरोपी 9) के कब्जे में थे और उनके आईसीआईसीआई बैंक खाते 675705602113 से जुड़ा एक मोबाइल नंबर 9911011060 उसके (तारा चंद के) कब्जे में रहते थे और हरीश प्रविष्टि करने के उद्देश्य से जब भी जरूरत होती थी, उससे ओटीपी लेता था।

(x) -------क्रेटों की खरीद-बिक्री और इस तरह के लेनदेन के बदले धन हस्तांतरण के संबंध में जांच के पूरे निष्कर्ष पर नीचे दिए गए पैराग्राफ में चर्चा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह राकेश कुमार केडिया, मनीष, नेहा श्रेष्ठ और गेंदा राम को नहीं जानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह नकदी उपलब्ध कराने के लिए राम प्रकाश भाटिया को 0.2 से 0.3% का कमीशन दिया करते थे। उसने बताया कि वह तारा चंद को उसके बैंक खाते में जमा होने वाली राशि पर 0.1% कमीशन देता था। 25,000/- प्रति माह हरीश यादव को उपरोक्त बैंक खातों को संचालित करने और आर.टी.जी.एस. प्रविष्टियां करने के लिए दिया करता था ---

(xii) हरीश यादव (आरोपी) का बयान पी.एम.एल.ए. की धारा 50 के तहत दर्ज किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वह तारा चंद और नीरज मित्तल के निदेश पर सचिन गुप्ता की तीन प्रोपराइटरशिप फर्मों के बैंक खाते का संचालन करते थे। 21.02.2023 को उनके परिसर में पी.एम.एल.ए. की धारा 17 के तहत तलाशी के दौरान सचिन गुप्ता की तीन प्रोपराइटरशिप फर्मों के बैंक खातों से जुड़े मोबाइल नंबर भी उनके पास पाए गए। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने सचिन गुप्ता की तीन प्रोपराइटरशिप फर्मों के बैंक खातों और तारा चंद के एक बैंक खाते का उपयोग करके राकेश कुमार केडिया, मनीष और नेहा श्रेष्ठ के बैंक खातों में 3.52 करोड़ रुपये की धनराशि को कई हिस्सों में स्थानांतरित कर दिया।

(xiii) ---21.02.2023 को डी-7/276 द्वितीय तल, सेक्टर-6 रोहिणी दिल्ली में हरीश यादव (आरोपी-9) के निवास पर तलाशी ली गई और उसी दिन उसका बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने कहा कि उसने तारा चंद के निदेश पर मनीष (मुकेश मित्तल के ड्राइवर के बेटे) के बैंक खाते 127000890839 में 10 लाख रुपये (जो कि वी.के. राम के अपराध का आगम है) स्थानांतरित किया और बदले में उसे 2,000 रुपये का कमीशन मिला। उसने यह भी कहा कि उसने बिना कोई व्यवसाय किए इस तरह की धनराशि स्थानांतरित की। उसने यह भी कहा कि तारा चंद और सचिन गुप्ता एक ही व्यक्ति हैं और वह तारा चंद को 2013 से जानता है। उसने यह भी कहा कि तारा चंद ने उसे नीरज मित्तल से मिलवाया था जो प्रविष्टियां प्रदान करने में शामिल था। नीरज मित्तल द्वारा यह भी बताया गया कि हरीश यादव के प्रोपराइटरशिप से 10 लाख रुपये के हस्तानांतरण की उसे कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार हरीश यादव द्वारा सीधे तारा चंद के अनुदेश पर ऐसा किया गया।

10.3 धन शोधन के अपराध में अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त होने या जानबूझकर सहायता करने या जानबूझकर पक्ष होने या अपराध की आय को पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने या दावा करने में शामिल होने या छिपाने/कब्जा करने/अधिग्रहण करने या उपयोग करने में शामिल होने के द्वारा।

(क) तारा चंद ने सचिन गुप्ता नामक एक काल्पनिक व्यक्ति बनाया और जाली दस्तावेजों के माध्यम से इस काल्पनिक व्यक्ति सचिन गुप्ता के तीन प्रोपराइटरशिप अर्थात मेसर्स ओम ट्रेडर्स, मेसर्स श्री खाटू श्याम ट्रेडर्स और मेसर्स अनिल कुमार गोविंद राम के नाम पर तीन बैंक खाते भी खोले। उन्होंने अपने असली नाम से एक बैंक खाता भी खोला। इसके अलावा तारा चंद ने वीरेंद्र कुमार राम के अपराध की आय का शोधन करने के उद्देश्य से ये चार बैंक खाते नीरज मित्तल (आरोपी संख्या 7) को उपलब्ध कराए। अन्य निधियों को रूट करने के लिए भी उन्हीं बैंक खातों का उपयोग किया गया। ख) श्री तारा चंद कमीशन के बदले में धन हस्तांतरण और प्रविष्टि प्रदान करने के अवैध कारोबार में लगे हुए थे। ग) श्री नीरज मित्तल के निर्देश पर तारा चंद राम प्रकाश भाटिया से नकदी एकत्र करता था, जो वास्तव में वीरेंद्र कुमार राम के अपराध की आय थी। घ) यह भी पता चला है कि तारा चंद के उक्त चार बैंक खातों से लगभग 122 करोड़ रुपये का क्रेडिट लेनदेन हुआ है और इस प्रकार उसी राशि का उपयोग धन के मार्ग के लिए किया गया था, जैसा कि ऊपर भी चर्चा की गई है। ङ) तारा चंद ने अपराध की आय के अवैध मार्ग की इस संगठित संरचना/प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

53. उपर्युक्त पैराग्राफ से यह स्पष्ट है कि वर्तमान याचिकाकर्ता आरोपी हरीश यादव का करीबी सहयोगी है और वह सह-आरोपी नीरज मित्तल के निर्देश पर उपरोक्त तीन बैंक खातों का संचालन करता था। 54. इसके अलावा, यह पता चलता है कि आरोपी तारा चंद नीरज मित्तल के निर्देश पर राम प्रकाश भाटिया (जिन्हें मुकेश मित्तल वीरेंद्र कुमार राम की नकदी सौंपता था) से नकदी एकत्र करता था और उसे राम प्रकाश भाटिया द्वारा उपलब्ध कराए गए राकेश कुमार केडिया, मनीष और नेहा श्रेष्ठ के बैंक खातों में स्थानांतरित करता था।

55. जांच में यह भी पता चला कि याचिकाकर्ता को आरटीजीएस प्रविष्टियां प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ बैंक खाते उपलब्ध कराने के लिए नीरज मित्तल से निर्देश मिले, जिसके बाद उसने इसे नीरज मित्तल को उपलब्ध कराया और ऐसे बैंक खाते वास्तव में याचिकाकर्ता और हरीश यादव की मदद से नीरज मित्तल द्वारा संचालित किए गए।

56. यह पता चला है कि वर्तमान याचिकाकर्ता तारा चंद ने फर्जी व्यक्ति के नाम पर आधार और पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों के माध्यम से बैंक खाते खोले और इन बैंक खातों का उपयोग आवास प्रविष्टियां प्रदान करने के लिए किया गया, जो कुछ बैंक खातों में रूट होने के बाद सह-आरोपी गेंदा राम के बैंक खातों में पहुंच गए। इसके अलावा, यह भी पता चला है कि जाली दस्तावेजों के आधार पर (दिल्ली में) खोले गए कुछ बैंक खातों का उपयोग भी धन के रूटिंग में किया जा रहा था।

57. आरोपी तारा चंद (याचिकाकर्ता) ने जांच के दौरान खुलासा किया कि उसने सह-आरोपी नीरज मित्तल के निर्देश पर जाली दस्तावेजों के माध्यम से तीन प्रोपराइटरशिप फर्मों के नाम पर खुद को सचिन गुप्ता के रूप में पेश करके तीन बैंक खाते खोले थे, जो बैंक खातों का संचालन भी करता था। इसके अलावा, बैंक को दिए गए पते पर उपरोक्त तीनों स्वामित्व वाली फर्मों के नाम पर कोई व्यवसाय नहीं पाया गया है। यह भी कहा गया है कि आरोपी तारा चंद आरोपी हरीश यादव का करीबी सहयोगी है और वह सह-आरोपी नीरज मित्तल के निर्देश पर उपरोक्त तीनों बैंक खातों का संचालन भी करता था।

58. आरोपी हरीश यादव मेसर्स ओयेकूल टेक्नोलॉजीज का मालिक है और दिए गए पते पर इसका व्यवसायिक संचालन भी अस्तित्वहीन पाया गया। यह भी कहा गया है कि फर्मों के उपरोक्त बैंक खातों से जुड़े (लिंक्ड) मोबाइल नंबर आरोपी हरीश यादव के कब्जे में थे और उनके आईसीआईसीआई बैंक खाते वाला एक मोबाइल नंबर तारा चंद के कब्जे में था और आरोपी हरीश यादव एंट्री करने के उद्देश्य से जब भी जरूरत होती थी, उससे ओटीपी लेता था। इसके अलावा, अनुसंधान में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी वीरेंद्र कुमार राम आरोपी मुकेश मित्तल को नकद राशि देता था, जो अपने उपरोक्त सहयोगियों की मदद से बैंक खातों में प्रविष्टियां लेता था और फिर मुकेश मित्तल द्वारा उक्त धनराशि को सह-आरोपी राजकुमारी और गेंदा राम के बैंक खातों में उक्त लेनदेन के लिए कमीशन का आदान-प्रदान करके, जाली दस्तावेजों के आधार पर खोले गए उपरोक्त बैंक खातों के माध्यम से, स्थानांतरित किया जाता था।

59. यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता एक कमीशन एजेंट के रूप में काम कर रहा था और आरोपी वीरेंद्र कुमार राम द्वारा सी.ए. मुकेश मित्तल के खाते में जो भी पैसा जमा किया गया था, उक्त मुकेश मित्तल ने तारा चंद के माध्यम से राशि हस्तांतरित की और हवाला लेनदेन के माध्यम से संचालित किए जाने वाले सभी खातों के प्रबंधन में 0.1% के कमीशन के आधार पर शामिल पाया गया।

60. इस प्रकार, पिछले पैराग्राफ से, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता तारा चंद ने सचिन गुप्ता नामक एक काल्पनिक व्यक्ति बनाया है और जाली दस्तावेजों के आधार पर इस काल्पनिक व्यक्ति सचिन गुप्ता के तीन प्रोपराइटरशिप अर्थात मेसर्स ओम ट्रेडर्स, मेसर्स श्री खाटू श्याम ट्रेडर्स और मेसर्स अनिल कुमार गोविंद राम के नाम पर तीन बैंक खाते भी खोले हैं। उन्होंने अपने असली नाम से एक बैंक खाता भी खोला। इसके अलावा तारा चंद ने वीरेंद्र कुमार राम के अपराध के आगम के शोधन के उद्देश्य से ये चार बैंक खाते नीरज मित्तल (आरोपी संख्या 7) को उपलब्ध कराए। अन्य फंडों को राह हमवार (रूट) करने के लिए भी उन्हीं बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया।

61. इस प्रकार अनुसंधान से ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता कमीशन के बदले में धन हस्तांतरण और प्रविष्टि प्रदान करने के अवैध कारोबार में लगा हुआ था और नीरज मित्तल के अनुदेश पर राम प्रकाश भाटिया से नकदी एकत्र करता था, जो वास्तव में वीरेंद्र कुमार राम के अपराध का आगम था। यह रिकॉर्ड पर आया है कि तारा चंद के उक्त चार बैंक खातों से लगभग 122 करोड़ रुपये का क्रेडिट लेनदेन हुआ है और इस प्रकार उसी राशि का उपयोग फंड को रूट करने के लिए किया गया, जैसा कि ऊपर भी चर्चा की गई है।

62. इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, अपराध के आगम को अवैध रूप से राह हमवार (रूट) करने में वर्तमान याचिकाकर्ता की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसने आरोपी वीरेंद्र कुमार राम के अपराध के आगम को अवैध रूप से रूट करने की इस संगठित संरचना/प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

63. अब इस मरहले पर उपर्युक्त चर्चा के आलोक में यह न्यायालय पी.एम.एल. अधिनियम 2002 की धारा 45 के दायरे पर फिर आता है। जैसा कि पूर्वर्ति पैराग्राफ में चर्चा की गई है कि पी.एम.एल.

अधिनियम, 2002 की धारा 45 (ii) जुड़वाँ परीक्षण (ट्विन टेस्ट) मुहैया करती है। पहला "विश्वास करने का कारण" इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से होना चाहिए कि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है और दूसरी शर्त यह है कि अभियुक्त के जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

64. अधिनियम, 2002 की धारा 45 की उपधारा (1)(ii) में प्रावधान है कि यदि लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, तो न्यायालय को यह समाधान हो जाए कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है, अर्थात संबंधित न्यायालय को इस बात का मापदंड अपनाना होगा कि यह विश्वास करने के लिए संतुष्ट होना आपेक्षित है कि ऐसा अभियुक्त व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।

65. धारा 45(2) में उपलब्ध कराये गये, जमानत प्रदान किए जाने की परिसिमा के साथ साथ. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 438 या 439 के अंतर्गत इस न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता की परिसिमा को भी विचार में ऱखना होगा।

66. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पी.एम.एल. अधिनियम की धारा 19(1), 45(1), 45(2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कि दं.प्र.सं. (सीआरपीसी) की धारा 438 या 439 के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में नियमित जमानत का लाभ प्रदान करते समय, अधिनियम, 2002 की धारा 45(1) के तहत प्रदान की गई जुड़वां शर्तों (ट्विन कंडीशन्स) पर विचार किया जाना आपेक्षित है।

67. इसके अलावा, यहां यह उल्लेख करना आपेक्षित है कि माननीय शीर्षस्थ न्यायालय ने पवन डिब्बर बनाम प्रवर्तन निदेशालय के मामले में आपराधिक अपील संख्या 2779/2023 में पारित आदेश में अधिनियम, 2002 की धारा 3 को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता को प्रेडिकेट अपराध का आरोपी के रूप में नहीं दिखाए जाने के प्रभाव पर विचार किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान की व्याख्या करके, 2002 में यह निष्कर्ष निकला है कि धारा 3 को सरलता से पढ़ने पर, जब तक कि अपराध का आगम मौजूद न हो, तब तक कोई भी धन शोधन अपराध नहीं हो सकता।

68. अधिनियम 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यू) की परिभाषा के आधार पर जो "अपराध के आगम" को परिभाषित करता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ-12 में यह मुशाहिदा किया है कि पी.एम.एल.ए. की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (वी) में "संपत्ति" को हर प्रकार की संपत्ति या परिसंपत्तियों के रूप में परिभाषित करता है, चाहे वह भौतिक हो या अमूर्त, चल या अचल, मूर्त या अमूर्त।

69. किसी संपत्ति को अपराध का आगम मानने के लिए, उसे किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या प्राप्त किया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि अपराध के आगम में न केवल अनुसूचित अपराध से व्युत्पन्न या प्राप्त की गई संपत्ति शामिल है, बल्कि ऐसी कोई संपत्ति भी शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न्

या प्राप्त की गई हो। खंड (यू) यह भी स्पष्ट करता है कि ऐसी किसी भी संपत्ति की क़ीमत भी अपराध का आगम होगा।

70. उपर्युक्त निर्णय के पैराग्राफ-14 में, विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (सुप्रा) (के मामले) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय की समयुक्ति का हवाला देते हुए कहा गया है कि अपराध के आगम के अस्तित्व का पूर्व शर्त ही एक अनुसूचित अपराध का अस्तित्व है। पैराग्राफ-15 में यह निष्कर्ष दिया गया है कि अधिनियम, 2002 की धारा 3 को सरलता से पढ़ने पर, धारा 3 के तहत अनुसूचित अपराध के बाद कारित किया गया अपराध भी अपराथ कहा जा सकता है। एक उदाहरण देकर, यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो अनुसूचित अपराध से जुड़ा नहीं है, जानबूझकर अपराध के आगम को छिपाने में सहायता करता है या जानबूझकर अपराध के आगम का उपयोग करने में सहायता करता है, तो उस स्थिति में उसे पी.एम.एल.ए. की धारा 3 के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया जा सकता है। इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ पी.एम.एल.ए. की धारा 3 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है, उसे ही अनुसूचित अपराध में आरोपी के रूप में दिखाया जाना चाहिए।

71. अनुसंधान के दौरान सामने आए आरोपों के आधार पर यह न्यायालय इस मताभिव्यक्ति पर पहुंचा है कि याचिकाकर्ता की ओर से जो तर्क दिया गया है कि आगम को अपराध का आगम नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जैसा कि पिछले पैराग्राफों से ज़ाहिर होगा, आरोपी व्यक्ति वीरेंद्र कुमार राम द्वारा प्राप्त धन को इस याचिकाकर्ता द्वारा राह हमवार (रूट) किया गया है और उसने विभिन्न फर्जी खातों से धन भी निकाला है और इसे आरोपी व्यक्तियों के खाते में स्थानांतरित किया है।

72. अब वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, अभियोजन शिकायत दिनांक 20.08.2023 के विभिन्न पैराग्राफों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता न केवल शामिल है, बल्कि उसकी भागीदारी प्रत्यक्ष है। आगे, यह भी सामने आया है कि आरोपी वीरेंद्र कुमार राम, जो एक लोक सेवक है, द्वारा निविदाओं के आवंटन के बदले में कमीशन/रिश्वत के रूप में अपराध के आगम का एक हिस्सा अर्जित किया गया था और उक्त रिश्वत के पैसे को वर्तमान याचिकाकर्ता और दिल्ली स्थित सी.ए, मुकेश मित्तल की मदद से मुकेश मित्तल के कर्मचारियों/रिश्तेदारों के बैंक खातों की मदद से वीरेंद्र कुमार राम के परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में रूटेड करा कर भेजा जा रहा था।

73. यह न्यायालय उपरोक्त चर्चा के तथ्यात्मक पहलू तथा कानूनी स्थिति के आधार पर इस मताभियक्ति पर है कि इस न्यायालय द्वारा यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि याचिकाकर्ता अपराध की रक़म जो कथित अपराध का आगम बताई गई, के प्रबंधन में शामिल नहीं है।

74. इस न्यायालय ने नियमित जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय इस बात को ध्यान में रखा है कि यद्यपि (यह) न्यायालय, विद्वान न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर अपील में नहीं बैठा है, क्योंकि यह न्यायालय धारा 439 दं.प्र.सं. की शक्ति का प्रयोग कर रहा है, बल्कि केवल उस दृष्टिकोण पर विचार करने के उद्देश्य से जो जमानत की प्रार्थना को खारिज करते समय विद्वान

न्यायालय ने लिया है, यह न्यायालय भी अनुसंधान के दौरान सामने आई सामग्री, जैसा कि ऊपर संदर्भित है, का दिए गए आधार के दृष्टिकोण से भी सहमत है, ।

75. यह न्यायालय इस तथ्य से जागरूक है कि गंभीर आर्थिक अपराधों में जमानत देने के मुद्दे का विनिश्चय करते समय यह न्यायालय का परम कर्तव्य है कि कथित अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे समाज के लिए एक गंभीर खतरा खड़ा करता है और, इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

76. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम संतोष कर्नानी और अन्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 427 के मामले में, है विचार व्यक्त किया है कि भ्रष्टाचार हमारे समाज के लिए एक गंभीर खतरा खड़ा करता है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। उपरोक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ का संदर्भ इस प्रकार निर्दिष्ट किया जा रहा है:-

> *"31. उच्च न्यायालय को कथित अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखना चाहिए था। भ्रष्टाचार हमारे समाज के लिए एक गंभीर खतरा खड़ा करता है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। यह न केवल सरकारी खजाने को भारी नुकसान ले जाता है, बल्कि सुशासन को भी रौंदता है। आम आदमी सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों से रिस रहा होता है, और सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। यह उपयक्तता (सही) कहा गया है, "भ्रष्टाचार एक ऐसा पेड़ है जिसके शाखाओं की लंबाई अमाप्य होती हैं; वे हर जगह फैलती हैं और वहां से गिरने वाली ओस ने प्राधिकार (सत्ता) की कुछ कुर्सियों और स्टूलों को संक्रमित कर दिया है।" इसलिए, अतिरिक्त सचेत रहने की आवश्यकता है।"*

77. यह न्यायालय, याचिकाकर्ता के खिलाफ उपलब्ध उपरोक्त सामग्री के मद्देनजर, इस माताभिव्यक्ति पर है कि अपराध की ऐसी गंभीर प्रकृति में, जो कि सामग्री से प्रत्यक्ष है, जमानत देने के सिद्धांत को लागू करते हुए, जिसमें प्रथम दृष्टया मामला होने के सिद्धांत का पालन किया जाना है, आरोप की प्रकृति गंभीर है और इस तरह, यह जमानत प्रदान करने का उपयुक्त मामला नहीं है।

78. उपरोक्त कारणों से, तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है, याचिकाकर्ता जमानत प्रदान करने की शक्ति के प्रयोग के लिए एक विशेष मामला बनाने में विफल रहा और मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत के न्यायनिर्णयन के लिए विचार किए जाने वाले तथ्यों और मापदंडों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय जमानत देने के लिए अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई असाधारण आधार नहीं पाता है।

79. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें जमानत की प्रार्थना स्वीकार की जाए, इस प्रकार तत्काल आवेदन खारिज किया जाता है।

80. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में व्यक्त किया गया मताभिव्यक्ति, प्रथम दृष्टया, केवल जमानत के मामले पर विचार करने के लिए हैं।

(न्यायमूर्ति, सुजीत नारायण प्रसाद)

अलंकार/-

ए.एफ़.आर

यह अनुवाद शबनम (पैनल अनुवादक) द्वारा किया गया।